

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 21.10.25

रीडर/2025/ 8993

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गंगाराम 2 भैराराम पिसरान  
सुखाराम 3 रम्भादेवी पत्नि  
भगाराम जाति ढाढी 4 राजेश  
कुमार 5 अशोक कुमार  
पिसरान कलाराम जाति  
ब्राह्मण निवासीयान बैरड  
गोमाराम नगर पटवार क्षेत्र  
दूदाबेरी तहसील व जिला  
बाडमेर।

1 कलाराम पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण 2 जालाराम 2 फुसाराम 4  
भंवराराम 5 फुसाराम पिसरान मृगी 6 मीरादेवी पत्नि चेनाराम 7  
अणदू पत्नि हीराराम 8 अनुदेवी पत्नि ताजाराम 9 उतमाराम पुत्र  
भीमाराम 10 खमूदेवी पत्नि रूपाराम 11 खेमाराम पुत्र बुधराराम  
12 चनणाराम पुत्र खेताराम 13 चेनाराम पुत्र हीराराम 14  
चौखाराम पुत्र हरदान 15 छगुदेवी पत्नि हीराराम 16 जेताराम पुत्र  
रेखाराम 17 तेजाराम पुत्र देदाराम तुलसाराम पुत्र हीराराम 19  
धापू पत्नि मूलाराम 20 नीम्बाराम पुत्र खेताराम 21 पतु पुत्र  
मूलाराम 22 पन्नाराम पुत्र रूपाराम 23 पुरखाराम पुत्र ताजाराम  
24 पुराराम पुत्र हीराराम 25 बागाराम पुत्र हरदान 26 बाबूराम पुत्र  
रूपाराम 27 भंवरीदेवी पत्नि भीमाराम 28 पुरों पत्नि खेताराम 29  
मीरादेवी पत्नि चेनाराम 30 रेखाराम पुत्र देदाराम 31 रेखाराम पुत्र  
हरदानराम 32 रेखाराम पुत्र ताजाराम 33 रूपाराम पुत्र मूलाराम  
34 रामाराम पुत्र ताजाराम 35 लक्ष्मणराम पुत्र भीमाराम 36  
सुरताराम पुत्र इसराराम 37 गोमीदेवी पत्नि अर्जुनराम 38  
नोजीदेवी पत्नि वीराराम 39 सोनीदेवी पत्नि भीमाराम 40 भीयाराम  
पुत्र लिछमणाराम 41 पोकरराम पुत्र टीकूराम जातियान जाट  
निवासी बैरड गोमारामनगर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला  
बाडमेर। 42 वीरमाराम 43 किस्तुराराम पिसरान केहराराम  
जातियान जाट निवासी सोखरू तहसील बाडमेर जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 271/2025

दिनांक- 13/10/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बैरड गोमाराम पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा  
संख्या 762 रकबा 12.1406 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने  
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित  
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी  
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8994 - 37

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गंगाराम पुत्र देवा सुखाराम वगैरह जाति ढाढी निवासीयान बैरड गोमाराम नगर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी कलाराम पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण निवासी बैरड गोमाराम नगर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाडमेर।

दिनांक- 21.10.25

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर